अध्याय-4 सभा की बैठकें.

11. सभा की बैठकें तभी विधिवत गठित होंगी जब कि उसमें अध्यक्ष या अन्य सदस्य पीठासीन हों जो संविधान अथवा इन नियमों के अधीन सभी की बैठक में पीठासीन होने के लिये सक्षम हों. **सभा की बैठकें कब विधिवत गठित होंगी.**

12. जब तक कि सभा अन्यथा संकल्पित न करे सभा की बैठकें साधारणतः 10.30 बजे प्रारंभ होंगी और साधारणतः 17.00 बजे समाप्त हो जावेंगी : **बैठक का प्रारंभ तथा समाप्ति.**

परन्तु सभा साधारणतः 13.00 से 14.30 बजे के मध्य नहीं होगी जब तक कि सभा अन्यथा संकल्पित न करे :

परन्तु यह और भी कि यदि सदन चाहे तो उसकी बैठक यथास्थिति किसी भी दिन या किन्हीं भी दिनों में अपरान्ह 13.00 बजे से 14.30 के समय में या 17.00 बजे के बाद भी हो सकेगी या उस समय के पूर्व स्थगित हो सकेगी और उस दिन या उन दिनों बैठक सदन द्वारा इस प्रकार निर्धारित समय पर समाप्त होगी.

12-क. सदन की बैठक सत्र के दौरान केवल ऐसे दिनों को छोड़कर जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा या सदन द्वारा छुट्टी का दिन घोषित किया गया हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वृहस्पतिवार, शुक्रवार को होगी : **सदन की बैठकें.**

परन्तु सदन की बैठक किसी भी शनिवार को या अन्य किसी छुट्टी के दिन भी हो सकेगी, यदि सदन इस आशय का विनिश्चय करे या कार्य मंत्रणा समिति इस आशय की सिफारिश करे जो सदन द्वारा अनुमोदित हो.

12-ख. नियम 12-ग तथा 266 के उपबंधों के अध्यधीन अध्यक्ष इन नियमों के अधीन या सदन द्वारा समय-समय पर नियत समापन के समय उसी सत्र में अगली बैठक तक के लिये या अनिश्चित काल के लिये सदन को स्थगित कर सकेगा : **सदन का स्थगन.**

परन्तु अध्यक्ष सदन के समक्ष कार्य स्थिति पर विचार करते हुए सदन का मत प्राप्त करने पर सदन को उसी दिन बाद के किसी समय के लिये स्थगित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि सदन को सदन के नेता द्वारा प्रस्तुत और सदन द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव के सिवाय, सत्र के लिये नियत सदन की अंतिम बैठक के पहले किसी दिन, अनिश्चित काल के लिये स्थगित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और भी कि सदन के नेता के प्रस्ताव पर उस दिन या तिथि विशेष से पूर्व जब तक के लिये सदन की बैठक स्थगित की गई हो या सदन के अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किये जाने के बाद किसी भी समय सदन की बैठक बुला सकेगा.

12-ग. नियम 12-ख में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां संविधान के अनुच्छेद 179 के खण्ड (ग) के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने के संकल्प की सूचना सदन की सत्र के लिये नियत अंतिम बैठक के दिन से कम से कम चौदह दिन पूर्व प्राप्त हुई हो और यदि सदन द्वारा उस संकल्प का निपटारा न किया गया हो, तो यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति सदन द्वारा रखे गये और उसके द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव की स्थिति को छोड़कर अन्यथा रूप से सदन को - **सदन के स्थगन पर निर्बन्धन.**

(एक) संकल्प की सूचना प्राप्त होने के दिन से 15 दिन के बाद की अवधि के लिये, तथा

(दो) जहां नियम 146 के उपनियम (3) के अधीन संकल्प प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुमति प्रदान कर दी गई हो, वहां उस दिन से, जिस दिन ऐसी अनुमति प्रदान की गई हो, 10 दिन से अधिक की अवधि के लिये स्थगित नहीं करेगा.